

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाइन रेल्वे फाटक के पास, जयपुर 302005
क्रमांक:-एफ.1(7)(02029)डीपीसी/सान्याअवि/2026/ जयपुर दिनांक:-यथा ई-हस्ताक्षरित

::आदेश::

राजस्थान समाज कल्याण सेवा के ग्रुप "ए" के अतिरिक्त निदेशक पद की वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.05.2026 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में आयोजित की गई।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2025-26 में रिक्त पद के लिये अतिरिक्त निदेशक पद के एल-शेप रोस्टर अनुसार रोस्टर बिन्दु-06 (अनारक्षित) पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर निम्नानुसार राजसेवक की पदोन्नति पर विचार करते हुए इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अन्तर्गत प्रकरण विचाराधीन होने के कारण उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त दिनांक से संयुक्त निदेशक (एल-17) से अतिरिक्त निदेशक (एल-19) के पद पर पदोन्नति चयन **सीलकवर** किया गया है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्त दिनांक	विशेष विवरण
1	श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल	UR	13.11.2025	सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र क्रमांक 247 दिनांक 10.03.2025 व आरोप पत्र क्रमांक 729 दिनांक 23.05.2025 विचाराधीन होने के कारण चयन सीलकवर

(ललित कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.1(7)(02029)डीपीसी/सान्याअवि/2026/ जयपुर दिनांक:-यथा ई-हस्ताक्षरित
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग/विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सत0 एवं प्रशा0), सान्याअवि, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (आई.टी) को ई-मेल/वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
9. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग, चित्तौड़गढ़।
10. संस्थापन प्रशाखा (पी-1)/जांच, मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु
11. संबंधित अधिकारी श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल।
12. व्यक्तिगत पत्रावली श्री
13. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव